न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 47/2019

–: अनवान :–

रामकुमार पुत्र दुलाराम जाति कुम्हार निवासी चक 1 बी.पी.एम. हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

..... **प्रार्थी**

बनाम

1. रामलाल पुत्र दुलाराम जाति कुम्हार निवासी चक 1 बी.पी.एम. हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. मनफुल पुत्र रामलाल जाति कुम्हार निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. मोहनीदेवी पत्नी रामलाल जाति कुम्हार निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

.... **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राकेश सारस्वत, अधिवक्ता अप्रार्थी 1 ता 3,
3. पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

– :: निर्णय ::–

दिनांकः– 20.12.2019

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम से चक 1 बी.पी.एम. के पत्थर नम्बर 214/11 के किला नम्बर 3, 4, 8, 13, 18 की 1.265 हैक्टेयर व पत्थर नम्बर 214/19 के किला नम्बर 1/1 में 0.228 हैक्टेयर, 2 में 0.253 हैक्टेयर, 10/1 में 0.228 हैक्टेयर, 11/1 में 0.228 हैक्टेयर, 12 में 0.253 हैक्टेयर, 19 में 0.253 हैक्टेयर, 20/1 में 0.228 हैक्टेयर, 21/1 में 0.228 हैक्टेयर, 22 ता 24 सालम इस पत्थर में 2.6580 हैक्टेयर व पत्थर नम्बर 214/27 किला नम्बर 13–18 सालम कुल 4.429 हैक्टेयर भूमि खातेदारी में दर्ज होकर कब्जा काश्त में चली आ रही हैं। इसी चक के पत्थर नम्बर 214/11 का किला नम्बर 5–6–7 सालम अप्रार्थीया न. 3 मोहनीदेवी जो अप्रार्थी न. 1 की पत्नी हैं, के नाम व किला नम्बर 14 ता 17 सालम अप्रार्थी न. 2 मनफूल जो अप्रार्थी न. 1 का पुत्र हैं, के नाम हैं व इसी पत्थर का किला नम्बर 1–2, 9 ता 12, 19 ता 22 में 2.530 हैक्टेयर रकबा वन विभाग के नाम से दर्ज हैं। प्रार्थी का कहना हैं कि इस चक के पत्थर नम्बर 214/17, 241/18, 214/19 प्रत्येक मुरब्बा के किला नम्बर 1–10–11–20–21 में 2–2 बिस्वा रास्त स्वीकृत हैं व वर्षो से चलता आ रहा है। इस चालू रास्ते को अप्रार्थी न. 1 ता 3 ने एक राय होकर पत्थर नम्बर 214/19 के किला नम्बर 1–10–11–20 में रोक दिया हैं व रास्ते की भूमि में ट्रेक्टर से हल चलाकर उसमें करावा से मिट्टी डाल कर रास्ता बंद कर दिया व मुझ प्रार्थी के खातेदारी रकबा में दखल कर रहे हैं। प्रार्थी ने पूर्व में कई बार नायब तहसीलदार व तहसीलदार साहब

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये थे कि अप्रार्थीगण द्वारा रोके गये उक्त मंजूरशुदा रास्ता से अवरोध हटाया जावे व रास्ते के आवागमन में आगे कोई बाधा पैदा न करें। तहसीलदार द्वारा टीम गठित करके दोनो पक्षकारों व चक के काश्तकारों के रोबरू भूमि की नपाई करके रास्ते की निशानदेही करके पुलिस की मौजूदगी में रास्ता चालू करवाया गया परन्तु अप्रार्थीगण झगड़ालू किस्म के लोग हैं व उन्होंनें रास्ता फिर से अवरूद्ध कर दिया जिससे प्रार्थी को अपने खेत में जाने में भारी परेशानी होती हैं व फसल में भी आर्थिक नुकसान होता है व आपस में झगड़ा होने की सम्भावना बनी रहती हैं। अप्रार्थीगण द्वारा रोका गया सरकारी रास्ता खुलवाया जाकर आवागमन सुचारू किया जावे व भविष्य में फिर से सरकारी रास्ते को बंद न करें व प्रार्थी के खातेदारी खेत में भी दखल नहीं करे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने भी प्रार्थना पत्र का लिखित में जवाब प्रस्तुत करके प्रार्थना पत्र मे दर्ज तथ्यों से इन्कार किया व कहा कि रास्ता तो स्वंय प्रार्थी ने बंद कर रखा हैं। रास्ते की भूमि काश्त करने पर उनके विरूद्ध नाजायज काश्त की कार्यवाही हुई जिनकी नकले प्रंस्तुत हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सुनवाई के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं। प्रार्थी ने झूंठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। अप्रार्थी रामलाल खुद ने दिनांक 02.01.2018 को नायब तहसीलदार को प्रार्थना पत्र देकर रामकुमार द्वारा बंद किये रास्ते को खुलवाने का निवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का को मौका पर भेजा गया जिसने रिपोर्ट की कि रास्ता मौका पर बंद हैं व पुलिस मदद से रास्ता खुलवाया गया रामकुमार के विरूद्ध रास्ते की भूमि पर नाजायज काश्त की कार्यवाही भी की हुई साबित हैं जिस पर तावान लगाया गया हैं। अप्रार्थी की कभी भी रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण करने की नीयत नहीं रही हैं। प्रार्थी मुझ अप्रार्थी से रंजिश रखता हैं। इसलिए हमारे विरूद्ध गलत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी ने वन विभाग की भूमि पर भी कब्जा कर काश्त की थी। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में लिखित तथ्यो को ही दोहराते हुए कहा कि तहसीलदार , नायब तहसीलदार, गिरदावर हल्का व पटवारीयों की टीम के साथ पुलिस ने रास्ता कई बार खुलवाया परन्तु अप्रार्थीगण हर समय झगड़ा करने पर तैयार रहते हैं व सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों के आदेश को नहीं मान कर संरकारी मंजूरशुदा रास्ता को बंद कर प्रार्थी को अपने खेत तक जाने से रोक दिया हैं जिससे झगड़ा फसाद पैदा होने की सम्भावना बनी रहती हैं व प्रार्थी अपने खेत तक उंट गाड़ा या ट्रेक्टर ट्राली भी नहीं ले जा सकता जिससे भारी परेशानी होती हैं इसलिए पत्थर नम्बर 214/17, 214/18 जो पत्थर नम्बर 214/19 से उतर में पड़ते हैं। इन पत्थर नम्बरों में जो रास्ता किला नम्बर 1–10–11–20–21 की लाईन पर आ रहा हैं उसके सीध में पत्थर नम्बर 214/19 के किला नम्बर 1–10–11–20–21 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा मंजूरशुदा रास्ता जो अप्रार्थीगण 1 ता 3 ने रोक रखा हैं जरिये पुलिस खुलवाया जावे व भविष्य में रास्ता बंद न करने के लिए पाबन्द किया जावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को ही दोहराते हुए बहस की कि अप्रार्थीगण द्वारा कोई सरकारी रास्ता रोका हुआ नहीं हैं। अप्रार्थीगण तो स्वंय रास्ता चालू रखना चाहते हैं प्रार्थी ही रास्ते को चालू नहीं करना चाहता। इनका यह भी कहना हैं कि पत्थर नम्बर 214/11 व 214/19 के बीच का पत्थर नम्बर मौजूद नहीं हैं जिससे प्रार्थी अप्रार्थी के खेत में घुसना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सरकारी मंजूरशुदा रास्ते को रोकना नहीं चाहते हैं। अप्रार्थी रामलाल खुद ने दिनांक 02.01.2018 को नायब तहसीलदार को प्रार्थना पत्र देकर रामकुमार द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

बंद किये रास्ते को खुलवाने का निवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का को मौका पर भेजा गया जिसने रिपोर्ट की कि रास्ता मौका पर बंद हैं व पुलिस मदद से रास्ता खुलवाया गया रामकुमार के विरूद्ध रास्ते की भूमि पर नाजायज काश्त की कार्यवाही भी की हुई साबित हैं जिस पर तावान लगाया गया हैं। अप्रार्थी की कभी भी रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण करने की नीयत नहीं रही हैं। प्रार्थी मुझ अप्रार्थी से रंजिश रखता हैं। इसलिए हमारे विरूद्ध गलत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी ने वन विभाग की भूमि पर भी कब्जा कर काश्त की थी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आरटीए निरस्त किया जावें।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। पत्रावली में दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रकरण काफी समय से दोनो पक्षों के मध्य विवाद का बिन्दु बना हुआ हैं। नायब तहसीलदार का आदेश तहसीलदार द्वारा गिरदावर व पटवारियों की टीम गठित कर सही नपाई कर रास्ते की निशानदेही करने के आदेश को भी नहीं माना गया रास्ता पुलिस द्वारा भी खुलवाया गया परन्तु विवाद जस का तक हैं। दोनों पक्ष एक ही परिवार के सदस्य हैं व झगड़ा फसाद और आगे न बढे व दोनों पक्षों को रास्ता बंद होने से किसी भी पक्षकार को आर्थिक नुकसान नहीं हो। यह तथ्य रिकार्ड से साबित हैं कि तीनो पत्थरों मे रास्ता मंजूर हैं, दोनो पक्ष इससे सहमत हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने व बहस पर मनन करने व सम्बन्धित कानून का गहनता से अध्ययन करने के बाद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि उप तहसीलदार राजियासर चक 1 बीपीएम के पटवारी के साथ हल्का गिरदावर व एक पटवारी भू–प्रबन्ध विभाग का जानकार हो, की एक टीम गठित करके यदि आवश्यकता हो तो पुलिस जाब्ता साथ लेकर पत्थर नम्बर 214/17, 214/18 की लाईन पर किला नम्बर 1–10–11–20–21 पर उतर से दक्षिण की ओर आने वाले लाईन पर रास्ते को पत्थर नम्बर 214/19 के किला नम्बर 1 –10–11–20–21 के पश्चिमी दिशा में मंजूरशुदा 2– 2 बिस्वा रास्ते को तुरन्त प्रभाव से चालू करवाया जावे, रास्ते को मिट्टी या बाड़ से अवरूद्ध किया गया हो तो जिस पक्षकार ने बंद किया हैं उसे तुरन्त हटाया जावे व रास्ते की बाउन्ड्री पर दोनो पक्षों की मौजूदगी में सीमेन्ट के दौ पिल्लर रास्ते की जगह को चिन्हित करते हुए लगाकर दोनो पक्षो के हस्ताक्षर करवा कर पाबन्द किया जावे कि भविष्य में कोई भी पक्षकार रास्ते में मिट्टी आदि डालकर या कांटो की बाड़ लगा कर व्यवधान पैदा नहीं करेगे व प्रार्थी की खातेदारी भूमि में अप्रार्थी दखल नहीं करें। उप–तहसीलदार राजियासर एक सप्ताह में आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट इस अदालत को भिजवायें। उप–तहसीलदार राजियासर के नाम तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.12.23 11:09:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: